

अनुच्छेद 31 सी : एक समीक्षा

इंडियन
एक्सप्रेस

पेपर- II (राजव्यवस्था)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित कर रहा है कि क्या अनुच्छेद 31सी अभी भी मौजूद है। यह अनुच्छेद उन कानूनों की रक्षा करता है जो संविधान के अनुच्छेद 39(बी) और (सी) के तहत धन और संसाधनों को वितरित करते हैं, पहले के फैसलों के बाद जिन्होंने संपत्ति कानूनों को प्रभावित किया और इसकी चल रही वैधता पर सवाल उठाए।

अनुच्छेद 31C क्या है?

अनुच्छेद 31सी को 1971 में 25वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, मुख्य रूप से बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में। इस मामले में अदालत ने मुआवजे की पेशकश के मुद्दों के कारण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सरकारी अधिनियम को अमान्य कर दिया था।

यह अनुच्छेद उन कानूनों की रक्षा करता है जो अनुच्छेद 39(बी) और (सी) में निर्दिष्ट - धन एकाग्रता को रोकने के लिए भौतिक संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करने वाले सिद्धांतों को लागू करते हैं। यह अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत वर्णित समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 31सी का अस्तित्व सवालों के घेरे में क्यों है?

अनुच्छेद 31सी का अस्तित्व इसके संशोधनों के इतिहास और कानूनी चुनौतियों के कारण सवालों के घेरे में है। विशेष रूप से केशवानंद भारती मामले में जहां इसके कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया, जिससे इसकी समग्र स्थिति प्रभावित हुई।

मिनर्वा मिल्स फैसले का प्रभाव: मिनर्वा मिल्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। इसने 42वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 31सी में किए गए विस्तार पर संदेह पैदा किया, विशेष रूप से कि क्या अनुच्छेद 31सी का मूल संस्करण इन परिवर्तनों से बच गया है।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा:

वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट अनसुलझे संवैधानिक अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अनुच्छेद 31सी की जांच कर रहा है। इसमें महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम जैसे संपत्ति कानूनों में इसका प्रयोग शामिल है। अधिनियम उपकर संपत्तियों के पुनर्वितरण को उचित ठहराने के लिए अनुच्छेद 39(बी) का उपयोग करता है, जिससे यह समीक्षा सामाजिक-आर्थिक कानून में अनुच्छेद 31सी के भविष्य के अनुप्रयोग को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

अनुच्छेद 31C को लेकर क्या हुई दलील?

जब सुनवाई शुरू हुई तो 9 जजों की बेंच केंद्र की इस बात से सहमत दिखी कि मामले को अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

हालाँकि, अगले ही दिन, बेंच ने कहा कि मिनर्वा मिल्स के फैसले के बाद क्या अनुच्छेद 31सी अभी भी जीवित है, इस सवाल पर संवैधानिक अनिश्चितता से बचने के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता (याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित) ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 31सी के मूल संस्करण को 42वें संशोधन में प्रदान किए गए विस्तारित संस्करण के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

इसलिए, जब मिनर्वा मिल्स में इस नए अनुच्छेद 31सी को रद्द कर दिया गया, तो पुराना प्रावधान स्वचालित रूप से पुनर्जीवित नहीं होगा।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल (केंद्र की ओर से पेश) ने तर्क दिया कि इस मामले में पुनरुद्धार का सिद्धांत लागू होना चाहिए, और अनुच्छेद 31सी पर केशवानंद भारती के बाद की स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए।

सिद्धांत को समझाने और इसके अनुप्रयोग को उचित ठहराने के लिए, उन्होंने उस मामले में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की टिप्पणियों पर भरोसा किया, जहां अदालत ने संविधान (99वें) संशोधन अधिनियम (एनजेएसी) को रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि एक बार जब संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रतिस्थापन और सम्मिलन की प्रक्रिया को स्वयं ही खराब और अस्वीकार्य माना जाता है, तो पूर्व-संशोधित प्रावधान स्वचालित रूप से पुनर्जीवित और पुनर्जीवित हो जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. अनुच्छेद 31C को संविधान (25वें) संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा पेश किया गया था।
2. केशवानंद भारती मामले में अदालत ने अनुच्छेद 31सी के अंतिम भाग को रद्द कर दिया गया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to Article 31C of the Indian Constitution:

1. Article 31C was introduced by the Constitution (25th) Amendment Act 1971.
2. In Kesavanand Bharti case, the court canceled the last part of Article 31C.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31सी की वर्तमान मान्यता के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का परीक्षण करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में अनुच्छेद 31सी का विवरण दें।
- दूसरे भाग में अनुच्छेद 31सी की वर्तमान की वर्तमान बहस के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का परीक्षण करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।